

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 01-02-2021

10 हजार का इनामिया गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 01.02.2021 पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निर्देशन थानाध्यक्ष अरुण पवार मय हमराहीयान हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह ,का0 राजकुमार, का0 इम्तियाज अहमद , का0 जयप्रकाश यादव ,म0का0 ऋचा मिश्रा के मय सरकारी बोलेरो व चालक के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त,चेकिंग बैंक,एटीएम करता हुआ नांगलिया तिराहे के पास मौजूद था कि हम सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बातचित कर रहे थे कि जरिये मुखवीर खास आकर सूचना दिया कि साहब आपके मुकदमे से सम्बन्धित 10 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त संतोष पासवान पुत्र छोटेलाल पासवान निवासी बनकटी चक धोवी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर अलहलादपुर तिराहे के पास कही भागने के फिराक में खाड़ा है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना विश्वास करके मैं थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मचारी मय बोलेरो सरकारी चालक के रवाना होकर अलहलादपुर तिराहे पर पहुंचने ही वाला था कि मुखवीर ने इसारा करके गाडी रूकवाया और कहा कि साहब समकोरा मता मन्दिर के पास जो व्यक्ति खाड़ा है वही संतोष पासवान है और मुखवीर यह बताते हुए गाडी से उतरकर तेज कदमों से हट-बढ़ गया। तत्पश्चात हम पुलिस वाले गाडी से उतरकर मुखवीर द्वारा बताये गये व्यक्ति के की तरफ बढ़े कि हम पुलिस वालों को देखकर मन्दिर के सामने खड़ा व्यक्ति भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वाले हिकमत अमली से 10-15 कदम जाते-जाते घेर-घार कर पकड़ लिए। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए जामा तलासी लिया गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम संतोष पासवान पुत्र छोटेलाल पासवान निवासी बनकटी चक धोवी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर बताया तथा अभियुक्त की जामा तलासी से अलावा पहने हुए कपड़ों के काई सय बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त को मु0अ0सं0-740/20 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर में वांछित अभियुक्त बताते हुए समय करीब 12.40 बजे बकायदा बजाफता हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय जनता के तमाम व्यक्ति मौके पर इकट्ठा हो गये गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई व लोक लज्जा के डर से अपना नाम पता बिना बताये हटबढ़ गये। गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। तत्पश्चात मैं थानाध्यक्ष मय हमराह व गिरफ्तार सुदा अभियुक्त अभियुक्त के मय सरकारी बोलेरो व चालक के रवाना होकर उपस्थित थाना आया। आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है।

इनामिया अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त संतोष पासवान पुत्र छोटेलाल पासवान निवासी बनकटी चक धोवी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0-609/20 धारा 380,457,411 भादवि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2-मु0अ0सं0-616/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3-मु0अ0सं0-740/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- 30नि0 श्री अरुण पवार (थानाध्यक्ष थाना राजघाट)
- 2- हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना राजघाट
- 3- का0 इम्तियाज अहमद थाना राजघाट
- 4- का0 राजकुमार थाना राजघाट
- 5- का0 जयप्रकाश यादव
- 6- म0का0 ऋचा मिश्रा